



महोबा पुलिस

दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 417/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

- आज दिनांक 23.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 418/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 रावेन्द्र मिश्रा व रि0का0 नीलेश कुमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामील के क्रम में 01 नफर वारन्टी अभियुक्त रामकिशोर पाल पुत्र मनीराम पाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त के विरुद्ध सीपी नं0 6371/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम रामकिशोर पाल, थाना अजनर जनपद महोबा में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा वारंट निर्गत किया गया था, जिसकी नियमानुसार तामील करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

रामकिशोर पाल पुत्र मनीराम पाल, उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध/वारंट विवरण-

सीपी नं0 6371/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रावेन्द्र मिश्रा, थाना अजनर जनपद महोबा

रि0का0 नीलेश कुमार, थाना अजनर जनपद महोबा





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 419/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में जिला बदर अपराधियों की निगरानी व अवैध शस्त्रों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 ऋषी शुक्ला, उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा, का0 अमर द्विवेदी व रि0का0 शिवम यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर बंगलाहार पहाड़ी को जाने वाले मोड़, बहद ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा से 01 नफर जिला बदर अभियुक्त प्रदीप पुत्र देवकीनन्दन, निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर एकनाली व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 13.07.2026 से 06 माह की अवधि हेतु जिला बदर किया गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा के भीतर अवैध शस्त्र के साथ पाया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप पुत्र देवकीनन्दन निवासी ग्राम कैथोरा थाना अजनर जनपद महोबा
बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा 315 बोर एकनाली
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला, थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा, थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 अमर द्विवेदी, थाना अजनर जनपद महोबा
4. रि0का0 शिवम यादव, थाना अजनर जनपद महोबा





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 420/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम म0उ0नि0 मालती साहू, का0 तुषार सिंह व रि0का0 शिवम यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित नामजद अभियुक्त रोहित लोधी पुत्र भैयन उर्फ चरन, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा को मवइया मोड़ पर बने यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम अजनर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

रोहित लोधी पुत्र भैयन उर्फ चरन, उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध का विवरण-

मु0अ0सं0 128/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.म0उ0नि0 मालती साहू, थाना अजनर जनपद महोबा
- 2.का0 तुषार सिंह, थाना अजनर जनपद महोबा
- 3.रि0का0 शिवम यादव, थाना अजनर जनपद महोबा





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 421/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा

04 नफर वांछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम उ0नि0 मलखान सिंह, व0उ0नि0 रमेश कुमार यादव, हे0का0 ज्ञान सिंह, का0 महेश प्रसाद, रि0का0 बृजेश कुमार, रि0म0का0 देवी सरोज व रि0म0का0 नेहा पटेल द्वारा थाना चरखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2024 धारा 323/504/506/306 भादवि से संबंधित 04 नफर वांछित अभियुक्तगण को बफरेथा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मनोज कुमार पुत्र मोहनलाल कड़ेरे, उम्र लगभग 28 वर्ष
2. मोहनलाल कड़ेरे पुत्र श्री सियाराम कड़ेरे, उम्र लगभग 54 वर्ष
3. माला उर्फ रजनी, उम्र लगभग 24 वर्ष, पत्नी स्व० सुनील कुमार, पुत्री मोहनलाल कड़ेरे
4. सुशीला रानी पत्नी मोहनलाल कड़ेरे, उम्र लगभग 49 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मलखान सिंह
2. व0उ0नि0 रमेश कुमार यादव
3. हे0का0 ज्ञान सिंह
4. का0 महेश प्रसाद
5. रि0का0 बृजेश कुमार
6. रि0म0का0 देवी सरोज
7. रि0म0का0 नेहा पटेल





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 422/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने जिलाबदर शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह हे0कां0 राममिलन सिंह व कां0 कलीम खान द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान जखा रोड से लोधीपुरा जाने वाली सड़क पर, ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा से 01 नफर जिलाबदर अभियुक्त कल्लू राजपूत पुत्र जयपाल राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 113/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- कल्लू राजपूत पुत्र जयपाल राजपूत, उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. हे0कां0 राममिलन सिंह
3. कां0 कलीम खान





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 423/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम उ०नि० रमेशकांत त्रिपाठी, रि०का० नितिन कुमार, रि०का० नीरज कुमार एवं रि०का० अवनीश उपाध्याय द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट के अनुपालन में अभियुक्त मोहित यादव पुत्र पूरनलाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम महेवा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को उक्त वारंट परिवाद संख्या 6544/2021, धारा 138 एनआई एक्ट, माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफटीसी/महिला सत्र न्यायालय महोबा, में गिरफ्तार किया गया। है। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहित यादव पुत्र पूरनलाल, उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम महेवा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमेशकांत त्रिपाठी
2. रि०का० नितिन कुमार
3. रि०का० नीरज कुमार
4. रि०का० अवनीश उपाध्याय





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 424/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध 12 बोर तमंचा व कारतूस सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा उ०नि० मनोज कुमार मिश्रा मय हमराह कां० धर्मेन्द्र कुमार व कां० कुंवर पाल द्वारा आज दिनांक 23.07.2026 को अन्नपूर्णा ढाबा, बहद ग्राम नहदौरा माफ थाना कबरई जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त अतुल उर्फ प्रदीप यादव पुत्र छत्रपाल यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु०अ०सं० 168/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- अतुल उर्फ प्रदीप यादव पुत्र छत्रपाल यादव, उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर (नाजायज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० मनोज कुमार मिश्रा
2. कां० कुंवर पाल
3. कां० धर्मेन्द्र कुमार





दिनांक- 23.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 425/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 मौजीलाल वर्मा मय हमराह रि0आ0 सुमित सिंह व रि0आ0 विक्रम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामकिशोर सिंह पुत्र छोटा सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक बोरी में 18 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब ब्राण्ड "मस्तीह" नाजायज बरामद करते हुये ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रामकिशोर सिंह पुत्र छोटा सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
2. रि0आ0 सुमित सिंह
3. रि0आ0 विक्रम

